APPENDIX VI

CERTIFICATE OF LAND

File No............

Date ....

Certified that land measuring 49340 SQ. METRES (Area of land in Sq. meters) Situated in 64/375 (32) (Plot No.(s) Survey No. (s) Khasra No.(s) at 17 SPD PILIBANGAN HANUMANGARH (Name of street/village, sub Division, district and state) fully described in the schedule mentioned hereinafter is owned by CHOUDHARY RAWTA RAM MEMORIAL CHARITABLE TRUST (Name of owner) in terms of MR. KHYALI SAHARAN (give details of document/deed- i.e. sale deed/perpetual lease deed/gift deed /will / trust deed or other document of title) dated 28-09-2007 exected by MR. JAGDISH PRASAD Duly registered on 2007003014 (28.09.07) (date) at Serial No 2007003014 in book no 01 , volume no 182 on page 189 to 196 (complete details of registration) In the office of PILIBANGAN (details of registration office). It is certified that the said entire land comprises of a single plot of land.

It is further certified that the owner of the land has leased the said land to NIL (Name of lease) vide lease deed dated NIL for a period of NIL years duly no NIL registered on NIL (date) at Serial No NIL In book no.................... volume no NIL on page NIL to NIL (complete details of registration in the office of NIL (details of registration office) and the land is still in possession of the lessee.

It is further certified that OASIS SAINIK SCHOOL, 17SPD, PILIBANGAN (RAJ.) (Name of School with name of street/village , sub division and district) is located on the said plot of land.

THE SCHEDULE OF LAND ABOVE REFERRED TO

All that piece and parcel of land measuring 49340 SQ. METRES (area of land in square meters) situated in 64/375 (32) [plot no. (s)/Survey No.(s) Khasra No. (s)] at 17 SPD PILIBANGAN, HANUMANGARH (Name of street/village sub division, district and state) and bounded as follows :

North TALA RAM S/o SH MALEE RAM SHARMA
East MAYA DEVI W/o SH KRISHAN LAL
West FOREST DEPARTMENT
South ROAD

DISTRICT MAGISTRATE/REGISTERING AUTHORITY WITH DESIGNATION

(Name of Officer)

(Name of District)

Note : Strike off whichever is not applicable.

24/6/16 पटवारी (राजस्व) पटवार मण्डल, 18 S.P.D. तह. पीलीबंगा, (हनुमानगढ़)

C. S 24/6/16 तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा

** Rule added in the Affiliation Committee's meeting held on 11/08/2005 and approved by the Governing Body at its meeting held on 09/12/2005.

Appendix X

CERTIFICATE OF LAND

File No. **Date:01-02-2024**

Certified that the land measuring……**49340**…(Area of land in **Square meters**) is owned by the **C H Choudhary Rawta Ram Memorial Trust** (Name of the School/Society/Trust/Company under Sections 8) fully described in the schedule mentioned hereinafter with the following details:

Sr.No.	Particulars	Details
1	Plot No. (s)/ Survey No. (s)/Khasra No. (s)/Khata No.(s)/Khatauni No.(s) :-- **64/375(32)**	
2	Name of street//village, sub Division, District and State:-- **17SPD,Pilibangan,Hanumangarh,Raj.**	
3	In terms of (give details of the document/deed i.e. Sale Deed/Conveyance Deed/Gift Deed/Lease Deed (with period in terms of no. of years)/Sub lease (with period in terms of no. of years) Allotment Letter etc. **MR. KHYALI SAHARAN**	
4	Registration details:	

- Duly registered on **:- 2007003014**
- Executed by **:- MR. JAGDISH PARSAD**
- Serial No. **:- 2007003014**
- Book no. **:- 01**
- Volume no. etc **:- 182**
- On page **:- 189 TO 196**

It is certified that the said entire land comprise of a single plot of land. It is further certified that **C H Choudhary Rawta Ram Memorial Trust, PILIBANGAN , HANUMANGARH** is located on the above mentioned plot of land.

Digitally signed by Lap1
Date: 2021.06.28 21:26:24 +05:30
Reason: reason
Location: location

AN. ISO 9001 ; 2008

फार्म – बी

{देखिये नियम 9(3), (4) एवम् (6)}

कार्यालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ

क्रमांक :– एफ.12(3)(72)राज/08/ दिनांक :– – नवम्बर, 2009

–:: संपरिवर्तन आदेश ::–

आवेदक चौधरी रावताराम मैमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट जरिये अध्यक्ष ख्यालीराम सहारण पुत्र श्री दौलतराम जाति जाट साकिन 18 एस.पी.डी. तहसील पीलीबंगा के आवेदन पर उसकी खातेदारी भूमि चक 17 एस.पी.डी. ग्राम पंचायत बडोपल तहसील पीलीबंगा अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गयी है :–

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित पूर्ण पता :– चौधरी रावताराम मैमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट जरिये अध्यक्ष ख्यालीराम सहारण पुत्र श्री दौलतराम जाति जाट साकिन 18 एस.पी.डी. तहसील पीलीबगा
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है :– नहीं
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :–

   (क) ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम :– चक 17 एस.पी.डी. ग्राम पंचायत बडोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

   (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टर/वर्गमीटर में) :–

पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि (हैक्टर में)
64/375 (32)	1 ता 15	3.795 हैक्टर
	18 ता 20	0.759 हैक्टर
	21	0.101 हैक्टर
	22	0.127 हैक्टर
	23	0.152 हैक्टर
	कुल भूमि	4.934 हैक्टर (49340 वर्गमीटर)

   (ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टर/वर्गमीटर में) :– 4.934 हैक्टर (49340 वर्गमीटर)

   टिप्पणी :– अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए, राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है :–

4. संपरिवर्तन का प्रयोजन :– संस्थागत (शिक्षण संस्थान) प्रयोजनार्थ
5. संदेय प्रीमियम की दर :– 5/– रूपये प्रति वर्गमीटर
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम :–

चालान संख्या	दिनांक	रूपये
831	09.10.2009	1,23,350/–
832	09.10.2009	1,23,350/–
	कुल राशि	2,46,700/–

7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, तो जमा कराई गई रकम :– शुन्य
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, तो जमा कराई गई रकम :– शुन्य
9. क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है :– नहीं
10. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो :– – –
11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :–
   (i) उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
   (ii) यदि आवेदक इस आदेश को जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करनें में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
   (iii) नियम – 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
   (iv) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(i) प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार आवेदित भूमि 5.009 हैक्टर मे से इण्डियन रोड़ कांग्रेस (आ. आर.सी.) के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष में छोड़ते हुए शे भूमि का शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावे।

उक्त आदेश की पालना में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार आवेदित भूमि के किल नम्बर 21 ता 23 जो सुरतगढ़ जाखड़ावाली वाया बड़ोपल सड़क से चिपते है में से दक्षिण दिशा की 1 फुट 3 ईन्च भूमि जो चालू सड़क से चिपती हुई भूमि को सड़क हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पि करने के पश्चात शेष 4.934 हैक्टर (49340 वर्गमीटर) का संपरिर्वतन किया गया है।

(ii) निकटस्थ स्थानीय निकाय की उपविधियों एवम् निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्माण कराया जावेगा।

(iii) आवेदक ख्यालीराम द्वारा दिनांक 25.06.2009 को दिये गये सहमति पत्र के अनुसार वरिष्ठ नगर नियोजव बीकानेर के पत्र दिनांक 30.01.2009 द्वारा निर्धारित शर्तो पर निर्माण करेगा जिसका विस्तृत विवरण बिन संख्या 13 में अंकित है।

13. वरिष्ठ नगर नियोज़क बीकानेर जोन बीकानेर के पत्र क्रमांक बीकेजेड/25:22.10/हनुमानगढ़/170 दिनां 30.01.2009 के द्वारा निम्न शर्तो के साथ अनापि प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुका है।

(i) निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल पर अधिकतम आच्छादित क्षेत्रफल 35 प्रतिशत होगा तथ मुख्य सड़क सूरतगा जाखड़ावाली आगे की और 18 मीटर तथा शेष तीनों और 09 मीटर सैट बैक छोड़ना होगा।

(ii) निर्माण हेतु अधिकम ऊँचाई 25 मीटर तथा एफ.ए.आर – 1 होगा।

(iii) यदि उक्त संस्थान तकनीकी संस्थान है तो समस्त पैरामिटर शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों एवम् उ नियमों के मानदण्डों के अनुसार अथवा शिक्षा विभाग के मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए निर्माण का किया जावेगा।

14. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग हनुमानगढ़ के पत्रांक 4932 दिनांक 01.10.2007 के द्वारा निम्न शर्तो के साथ अनाप्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुका है।

(i) प्रस्तावित भूमि प्रस्तावित भूमि ओ.डी.आर. (सूरतगढ़–जाखड़ावाली) सड़क पर स्थित है। पी.डब्ल्यू.डी मैन्यूअल व इंडियन रोड़ काग्रेस द्वारा जारी मापदण्डों के अनुसार (अन्य जिला रोड़) सड़क के लिये नियन्त्रण रेखा के मध्य की दूरी 82 फीट 6 इन्च है, एवम् बिल्डिंग रेखा की दुरी सड़क के मध्य से दुरी 41 फीट 3 इन्च है। अतः संस्था पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा जारी मापदण्डों/नियमों के अनुसार ही निर्माण करवायेगी।

15 .अन्य विवरण यदि कोई हो :–

(i) जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ के पत्रांक HMH/SPO/711 दिनांक 18.02.2009 के द्वारा अनाप्ति प्रमाण–प जारी किया गया।

(ii) उपखण्डाधिकारी (राजस्व) पीलीबंगा के पत्रांक राजस्व/2008/4988 दिनांक 23.12.2008 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त।

(iii) तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा के पत्रांक रीडर/2454 दिनांक 17.12.2008 द्वारा विन्दूवार रिपोर्ट प्राप्त।

(iv) ग्राम पंचायत 18 एस.पी.डी. तहसील पीलीबंगा के पत्रांक एस.पी.सी./ग्रा.प./18 एस.पी.डी. दिनांक 09.09.200 तथा दिनांक 22.06.2009 को आयोजित बैठक में प्रस्ताव संख्या 1 के द्वारा अनाप्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया।

(v) उपरोक्त सभी शर्तो की पालना प्रार्थी द्वारा की जावेगी। किसी भी शर्त के उलंघन की दशा में नियमानुसार शास्ति आरोपित की जा सकेगी।

उक्त संपरिवर्तन आदेश के बिन्दू संख्या 1 से 14 व बिन्दू संख्या 15 के उप बिन्दू संख्या 1 ता 5 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन व अनाप्ति प्रमाण–पत्रों के आधार पर उक्त शर्तानुसार जारी किया जाता है।

sd/–
जिला कलक्टर,
हनुमानगढ़

Seal of the Prescribed Authority

क्रमांक :– एफ.12(3)(2)राज/07/ 6153-71 दिनांक :– 04– ~~सितम्बर~~, 2009 दिसम्बर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. उप शासन सचिव राजस्व (उपनिवेशन) विभाग को उनके पत्रांक 3(23)उपनिवेशन/ 2009 जयपुर दिनांक 21.07.2009 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ के पत्रांक HMH/SPO/711 दिनांक 18.02.2009 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर जोन बीकानेर को उनके पत्र क्रमांक बीकेजेड/25:22.10/हनुमानगढ़/170 दिनांक 30.01.2009 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
4. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड हनुमानगढ़ को उनके पत्रांक 4932 दिनांक 01.10.2007 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
5. उपखण्डाधिकारी (राजस्व) पीलीबंगा को उनके पत्रांक राजस्व/2008/4988 दिनांक 23.12.2008 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
6. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को उनके पत्रांक रीडर/2454 दिनांक 17.12.2008 तथा 1442 दिनांक 30.102009 के सन्दर्भ में भेज कर लेख है कि उक्त सपरिवर्तन आदेश का राजस्व अभिलेख मे अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

Scanned with OKEN Scanner